

अनुदान संख्या 95 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 95 - MINISTRY OF TOURISM

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2149,99,00		
		2150,02,00	2102,51,76	-47,50,24
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			43,17,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	20343.00		
पू.	S.	1.00	1.00	-1.00
पु.	R.	-20343.00		
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"			
पर्यटन	Tourism			
मू.	O.	193806.00		
पू.	S.	2.00	209784.60	209427.99
पु.	R.	15976.60		-356.61

(I) ₹20446.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹19844.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) “सामान्य (पर्यटन) – संवर्धन और प्रचार – आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार” – ₹1500.00 लाख; और

(खा) “पर्यटन अवसंरचना – पर्यटन आवास – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास” – ₹18344.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3452” – “सामान्य – संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय” के अन्तर्गत ₹3117.44 लाख की बचत (₹57100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश स्थित कार्यालयों के पुनर्गठन की वजह से विदेश के दौरे से संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹343.37 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹19190.93 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3452” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 में ₹3.00 लाख का

(I) Provision of ₹20446.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹19844.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “General (Tourism) - Promotion and Publicity – Domestic Promotion and Publicity including Hospitality” - ₹1500.00 lakhs; and

(B) “Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation - Swadesh Darshan – Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits” - ₹18344.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functioned heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3452” - “General – Promotion and Publicity – Direct Expenditure” – saving of ₹3117.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57100.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards foreign travel owing to restructuring of offices abroad and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under one head saving of ₹343.37 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹19190.93 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00

सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “पर्यटक अवसंरचना – पर्यटन केन्द्र – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास” – ₹18510.68 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18457.18 लाख था।

(II) “सामान्य – निदेशन एवं प्रशासन – पर्यटन महानिदेशालय” – ₹680.25 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹631.22 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “4059” – “लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय” के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया।

lakhs in July, 2018 and December, 2018 under Major Head “3452” - under the following heads: -

(I) “Tourist Infrastructure - Tourist Centres - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme - Based Tourist Circuits” - ₹18510.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹18457.18 lakhs.

(II) “General - Direction and Administration – Directorate General of Tourism” – ₹680.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹631.22 lakhs.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head “4059” – “Capital Outlay on Public Works” and was eventually surrendered.